ज्ञापांक–3625/Tech/2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–12.11.2021

सेवा में,

Deep Chand Lamba,
Nilachal Iron & Power Ltd.,Mouza-Ratanpur, Thana-Kandra,
Distt.-Saraikela-Kharsawan.

विषयः– **निर्मित Nilachal Iron & Power Ltd., सरायकेला–खरसावाँ फैक्ट्री भवन का अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित फैक्ट्री भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, सरायकेला से कराई गई। उनके ज्ञापांक–296 दिनांक–30.10.2021 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के अधीन अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. फैक्ट्री भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय–समय पर Hose Reel Hose एवं हाईड्रैण्ट के पानी को फ्लश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. फैक्ट्री भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting and डाउन कमर सिस्टम को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।

12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।

13. समय–समय पर सभी हाईड्रैण्ट को फ्लश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।

14. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।

15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।

16. निर्मित Nilachal Iron & Power Ltd., सरायकेला–खरसावाँ फैक्ट्री भवन में अग्निशमन सेवा, मुख्यालय, राँची द्वारा दिये गये अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के अनुसार अभी कार्य अधूरा है, परन्तु फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा एक शपथ–पत्र दिये है कि शेष बचे हुये अधूरे कार्य को एक माह के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। अगर एक माह के अन्दर अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के अनुसार शेष बचे हुये अधूरे कार्य नहीं होने पर पुनः जाँचोपरान्त कभी भी दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है।

यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक–31.10.2022 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.11.12 13:56:54 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Fire officer visit -Date - 13/10/2021

ज्ञापांक–993/तक0/2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–08वीं मार्च 2021

सेवा में,

Deep Chand Lamba,
Nilachal Iron & Power Ltd.,
Mouza-Ratanpur, Thana-Kandra,
Distt.-Saraikela-Kharsawan.

विषयः– **मौजा–Ratanpur, प्लॉट नं0–79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 191, 192, 193, 194, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, खाता नं0– 01, 06, 07, 12, 13, 14, 17, वार्ड नं0–00, थाना–Kandra, No-15, जिला–सरायकेला–खरसावाँ में निर्मित Nilachal Iron & Power Ltd., प्लांट भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार निर्मित प्लांट भवन प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावाँ से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–71 दिनांक–12.02.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित Nilachal Iron & Power Ltd., फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. निर्मित प्लांट के सामनेवाले भाग में कम से कम दो लाख लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. पूरे परिसर में कम से कम 200 mm डाया का Heavy MS पाईप वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट तथा 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
4. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
5. निर्मित लांट परिसर में एक–एक अदद फोम मॉनीटर का संस्थापन कराया जाय।
6. निर्मित प्लांट में Addresable Type Fire Detection & Alarming System की व्यवस्था की जाय।
7. प्रस्तावित प्लांट के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. निर्मित प्लांट के अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प रूम का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का एक अदद फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
13. प्लांट की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
14. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र संस्थापित कराया जाय।
15. मुख्य प्रवेश द्वार के पास 50 ली0 क्षमता का एक–एक अदद वाटर मिस्ट तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

16. प्लांट में एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म का संस्थापन कराया जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार में समुचित स्थानों पर हो।
17. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
18. मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
19. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
20. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
21. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
22. निर्मित प्लांट भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
23. प्लांट भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल् चेकलिस्ट के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
24. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
25. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.03.08 15:57:24 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।